


न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मंडल श्रृंखला

न्यायालय रीवा (म.प्र.)



R 5330-II/16

अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश  
तिवारी द्वारा प्रस्तुत 12-7-16

1. फुलवसुआ बेवा पत्नी बैजनाथ नाई उम्र 70 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम अंधियारखोह तहसील गोपदबनास जिला सीधी (म.प्र.)
2. परेमिया नाई पत्नी हेमराज नाई पुत्री बैजनाथ नाई उम्र 50 वर्ष पेशा गृहकार्य निवासी ग्राम बंजारी तहसील गोपदबनास जिला सीधी (म.प्र.)
3. लल्लू सेन पत्नी रामखेलावन सेन पुत्री बैजनाथ सेन उम्र 40 वर्ष पेशा गृहकार्य ग्राम कुडिया (पडखुरी कोठार 587) तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी (म.प्र.)
4. गीता पत्नी जग्यलाल सेन पुत्री बैजनाथ सेन उम्र 35 वर्ष पेशा गृहकार्य निवासी ग्राम नौढिया तहसील गोपदबनास जिला सीधी (म.प्र.)
5. सुरेश सेन पुत्र बैजनाथ नाई उम्र 45 वर्ष पेशा खेती एवं जातीय धंधा निवासी ग्राम अंधियार खोह तहसील गोपदबनास जिला सीधी (म.प्र.)—पुनरीक्षणकर्तागण


बनाम

1. भीमसेन तनय रामेश्वर कोरी उम्र 80 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम अंधियार खोह तहसील गोपदबनास जिला सीधी (म.प्र.)
2. मु.शकुन्तला देवी बेवा पत्नी दलप्रताप सिंह उम्र 50 वर्ष पेशा गृहकार्य
3. जीतेन्द्र सिंह तनय दलप्रताप सिंह चौहान उम्र 25 वर्ष पेशा खेती दोनो निवासी ग्राम अंधियारखोह तहसील गोपदबनास जिला सीधी (म.प्र.)
4. म.प्र.शासन —गैर पुनरीक्षणकर्तागण

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार तहसील गोपदबनास जिला सीधी के राजस्व प्रकरण क्रमांक 45 /अ-74 / 2015-16 आदेश दिनांक 16.06.16

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

मान्यवर,




राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-नि.5330-II/16

जिला-सीधी

फुलवसुआ वगैरः/भीमसेन कोरी

(1)	(2)	(3)
21.03.17	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</li><li>3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</li><li>4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</li></ol> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

M